

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी: सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या :

08/2019, गुण्डा एक्ट

03/2023, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल रामभजन पुत्र गंगाराम उर्फ गंगल्या जाति मीना निवासी जैस्यावाली कोठी बागपुरा थाना नांगल राजावतान जिला दौसा ।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: गैर सायल रामभजन पुत्र गंगाराम उर्फ गंगल्या स्वयं उपस्थित ।

–: निर्णय :-

दिनांक:-27.03.2024

गैर सायल रामभजन पुत्र गंगाराम उर्फ गंगल्या जाति मीना निवासी जैस्यावाली कोठी बागपुरा थाना नांगल राजावतान जिला दौसा के विरुद्ध थानाधिकारी पुलिस थाना नांगल राजावतान जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये दिनांक 28.08.2019 एवं दिनांक 21.09.2023 को यह इस्तगासे प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया है। मुताबिक इस्तगासे संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल रामभजन पुत्र गंगाराम उर्फ गंगल्या के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.स.	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर	तारीख रज्जू	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	फैसला
1.	नांगल राजावतान	99/18	09.05.2018	13 RPGO	99/18	24.05.18	सजा,जुर्माना 100/- दिनांक 28.05.2018
2.	नांगल राजावतान	12/19	10.01.2019	13 RPGO	03/19	21.01.19	सजा,जुर्माना 100/- दिनांक 11.03.2019
3.	नांगल राजावतान	48/19	02.03.2019	13 RPGO	42/19	06.03.19	सजा,जुर्माना 100/- दिनांक 15.03.2019
4.	नांगल राजावतान	62/23	28.05.2023	13 RPGO	43/2023	30.05.2023	सजा अर्थदण्ड दिनांक 13.07.2023

उक्त शख्स रामभजन पुत्र गंगाराम उर्फ गंगल्या जाति मीना निवासी जैस्यावाली कोठी बागपुरा थाना नांगल राजावतान जिला दौसा जुआं खेलने का आदि है तथा अन्य लोगों को भी जुआ खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। गैर सायल के विरुद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। गैर सायल इलाके के लोगो को जुआ सट्टा करने एवं कराने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल नियत तारीख पेशी पर लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरुद्ध थाना नांगल राजावतान जिला दौसा में जुएं सट्टे के अपराध से सम्बन्धित धारा 13 आरपीजीओ के चार प्रकरण दर्ज है, जिसमें गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। न्यायालय से गैर सायल को पाबन्द करवाये जाने के बाद भी गैर सायल जुआं सट्टे के अपराध में लिप्त है। गैर सायल इलाके के अन्य लोगो को भी जुएं सट्टे के दुष्प्रेरण में लगा रहा है, जिससे समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया। उक्त शख्स के खिलाफ छोटी मोटी वारदात की रिपोर्ट देने से व गवाही देने से भी लोग डरते हैं। गैर सायल जुर्म करने का अभ्यस्थ हो गया है। अतः गैर सायल रामभजन पुत्र गंगाराम उर्फ गंगल्या जाति मीना निवासी जैस्यावाली कोठी बागपुरा थाना नांगल राजावतान जिला दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

गैर सायल द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि मैं एक मजदूरी पेशा व्यक्ति हूँ। जो मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन करता हूँ। प्रार्थी के विरुद्ध दर्ज केवल मात्र 13 आरपीजीओ के प्रकरण है। प्रार्थी के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में प्रार्थी को दण्डित भी किया जा चुका है। प्रार्थी के विरुद्ध वर्तमान में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही लागू नहीं होती है। प्रार्थी मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन करता है। प्रार्थी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जावे एवं प्रार्थी के विरुद्ध की गई धारा 3 गुण्डा एक्ट अधिनियम की कार्यवाही निरस्त किये जाने का श्रम करें।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरुद्ध पूर्व में धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज है। धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरणों में प्रार्थी को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत दोनो इस्तगासो में अंकितानुसार गैर सायल रामभजन पुत्र गंगाराम उर्फ गंगल्या जाति मीना निवासी जैस्यावाली कोठी बागपुरा थाना नांगल राजावतान जिला दौसा जुंआ सट्टा खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ सट्टा खेलने के लिये प्रेरित करने के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने से उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के मध्यनजर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आमजन को जुआं-सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल रामभजन पुत्र गंगाराम उर्फ गंगल्या जाति मीना निवासी जैस्यावाली कोठी बागपुरा थाना नांगल राजावतान जिला दौसा को दिनांक 28.03.2024 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल नांगल राजावतान होते हुये थाना तूंगा जिला जयपुर पश्चिम पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना तूंगा जिला जयपुर पश्चिम को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र तूंगा जिला जयपुर पश्चिम में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना तूंगा जिला जयपुर पश्चिम के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम को पालना करवाने हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।



(सुमित्रा पारीक)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुमित्रा पारीक)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा